

दिनांक:—29.11.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण भरण पोषण का है, वकील प्रार्थी ने अवगत करवाया कि प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है अतः प्रार्थी की मृत्यु होने के कारण भरण पोषण का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

